

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान—उदयपुर

क्रमांक :— एफ 1 (1) लेखा /स्टोर/ देव/ 2018/

दिनांक:—

सीमित बोली सूचना

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के उपयोग के लिये सामान्य स्टेशनरी (स्टेशनरी Item) क्रय किये जाने हेतु विनिर्माताओं/प्राधिकृत डीलर्स/सद्भावी डीलर्स से निर्धारित बिड प्रपत्र पर में दिनांक 04.04.2018 अपराह्न 3.00 बजे तक सीमित बोलियां आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त बोलियों को दिनांक 05.04.2018 अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाता यदि कोई हो, के समक्ष खोली जाएगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा/लागत	बोली प्रपत्र शुल्क
1.	आपूर्ति योग्य स्टेशनरी सामग्री का विस्तृत विवरण Annexure-A पर संलग्न है।	राशि रूपये 1.50 लाख रूपये	200/-

- Annexure-A में आईटम के सामने अंकित अनुसार सामग्रियों का सेम्पल संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- बिड प्रपत्र, बिड सूचना से संबंधित नियम, शर्तें संबंधी दस्तावेज निर्धारित शुल्क पर आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में दिनांक 04.04.2018 अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। या वेब साईट www.devasthan.rajasthan.gov.in व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> से भी डाउन लोड किया जा सकता है। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। डाउन लोड करने की स्थिति में निविदा शुल्क रु. 200/- निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराने होंगे।
- बिड सीलबन्द लिफाफे में, जिसके उपर बीड का विवरण अंकित हो, आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाक द्वारा या व्यक्तिशः पहुंच जानी चाहिये। प्राप्त बिड दिनांक 05.04.2018 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
- बिड प्रतिभूति राशि रु. 3000/- का आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या दिनांक बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न है।
- सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/केश रसीद प्रस्तुत कर राशि रूपये 500/- के नॉन ज्युडिशयल स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। बिड प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा।
- बीड के साथ जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ जी. एस. टी. चुकता प्रमाण पत्र तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नं. की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
- विभागीय क्रय समिति न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथ यह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को कोई कारण बताये बिना रद्द कर सकेगी।
- बिड में आमन्त्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। दरों को आपसी सहमति से साथ तीन माह के लिये अधिकतम बढ़ाई जा सकेगी।



10 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है जो उक्त बिड पर प्रभावशील है।

11. जिन सामान की कीमत पर जी. एस. टी. अलग से देय है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों में किया जावे। जिस सामान की दरे जी. एस. टी. सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरों के साथ किया जावे।
12. क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से तीन दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा माल की सुपुर्दगी कर दी जायेगी विभाग को तत्काल आवश्यकता होने पर क्रय आदेश को 50 प्रतिशत सामान की आपूर्ति 1 दिवस में की जानी होगी। माल की सुपुर्दगी समय समय पर दिये गये आदेशानुसार निर्धारित समय में की जावेगी।
13. मूल दरें, जी. एस. टी. प्रतिशत तथा कुल मूल्य पृथक पृथक देनी होगी। यदि फर्म जी. एस. टी. के दायरे में आती है तो फर्म को जी. एस. टी. स्वयं के स्तर से संबंधित विभाग में जमा कराना होगा तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
14. बिड की दरे स्पष्ट रूप से अंकित की जावें, कटिंग नहीं करें। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रभागित करें।
15. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावें। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
16. सामग्री की उक्त राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। जो क्रय लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगी:-
 - (1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उप्राप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
 - (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिये पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमन्त्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमायें निम्नलिखित होंगी :–
 - (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और
 - (ख) मूल संविदा के मूल्य या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।
18. राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबन्ध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी सी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा से कम कीमत पर सेवायें देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोवित से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उनकी स्वीकारोवित से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कर करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदाधारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नहीं किया जायेगा।
19. विशेष परिस्थितियों में राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparency & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
20. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन – बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहें स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण

के लिये किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप, धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)

IAS

आयुक्त

देवस्थान विभाग

राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :— एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2018/

दिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. वित्तीय सलाहकार देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. उपायुक्त/सहायक आयुक्त (मु.) प्रधान कार्यालय को दी जाकर लेख है कि नियत तिथि पर निविदा कार्य हेतु उपस्थित रहे।
3. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को दी जाकर लेख है कि नियत तिथि पर निविदा कार्य हेतु उपस्थित रहे।
4. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, प्रधान कार्यालय को दी जाकर लेख है कि नियत तिथि पर निविदा कार्य हेतु उपस्थित रहे।
5. मैसर्स
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को आज ही विभाग की वेब साईट www.devasthan.rajasthan.gov.in व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर अपलोड कर एवं तत्सम्बन्धी विवरण की प्रति लेखा अनुभाग को उपलब्ध करावें।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय आयुक्त देवस्थान उदयपुर।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)

IAS

आयुक्त

देवस्थान विभाग

राजस्थान उदयपुर

बिड प्रपत्र

बिड विक्रय करने की अंतिम तिथि 04.04.2018 अपराह्न 1.00 बजे तक

बिड जमा कराने की अंतिम तिथि 04.04.2018 अपराह्न 3.00 बजे तक

बिड खोलने की अंतिम तिथि 05.04.2018 अपराह्न 4.00 बजे

अनुमानित लागत :- 1.50 लाख रुपये ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान—उदयपुर

1. सामान्य स्टेशनरी आईटम क्रय किये जाने हेतु बिड
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता, व मोबाइल नम्बर

3. किसको सम्बोधित किया गया – आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. सन्दर्भ :- एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2018 दिनांक
5. बिड शुल्क 200/- रुपये नकद रसीद संख्या एवं दिनांक के द्वारा जमा करवा दी गई है।
6. स्टेशनरी आपूर्ति की दरे सलग्न Annexure A से प्रस्तुत है।
7. बिड प्रतिभूति राशि रु. 3000/- का आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या जो..... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या..... दिनांक..... बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न है।
8. सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/केश रसीद प्रस्तुत कर राशि रुपये 500/- के नॉन ज्युडिशयल स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। बिड प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा।
9. बिड में आमंत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से अधिकतम आर.टी.पी.पी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के नियम 73 के तहत बढ़ाई जा सकेगी।
10. हम आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी उक्त संदर्भित निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों से एवं सलग्न प्रपत्रों में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
11. बिड के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति, एवं जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Annexure -"A"

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौसन खरीदी जाने वाली सामान्य स्टेशनरी का विवरण एवं दरें

क्र.सं.	वस्तु का नाम यथा विवरित्यां	अनुमानित मात्रा (नग)	मेक/ कम्पनी का नाम	मूल दर प्रति नग	पैकेट जी.एस. टी.	कॉल मूल्य पैकेट /प्रति नग	मूल दर प्रति नग	बेट %	कॉल मूल्य पैकेट /प्रति नग	मूल दर प्रति नग	बेट %	कॉल मूल्य पैकेट /प्रति नग	मूल दर प्रति नग	बेट %	कॉल मूल्य पैकेट /प्रति नग
62	डाक पुस्तिका (100 पेज)	50 नग	70 जी.एस. एम.												
63	डिलींग डायरी 19x30	100 नग	70 जी.एस. एम.												
64	पेपर कटर	10 नग	नटराज / इनफोटॉय समकक्ष												
65	पेपर बेट 1) ग 1) Plastic Squire	50 नग	बॉस या समकक्ष												
66	शार्टहैंड स्लिप पैड 160 पृष्ठ	50 नग	60 जी.एस.एम												
67	फाईल पैड 10x15	600 नग	उच्च क्वालिटी												
68	पत्र प्रेषण रजिस्टर 300 पेज 19x30	50 नग	70 जी.एस. एम.												
69	पत्र प्राप्ति रजिस्टर 300 पेज 19x30	30 नग	70 जी.एस. एम.												
70	स्लिप पैड 40 नं.	100 नग	60 जी.एस.एम												
71	स्लिप पैड 33 नं.	300 नग	60 जी.एस.एम												
72	स्लिप पैड 22 नं.	300 नग	60 जी.एस.एम												
73	स्टॉक रजिस्टर अस्थाई 320 पेज	4 नग	70 जी.एस. एम.												
74	स्टॉक रजिस्टर स्थाई 320 पेज	2 नग	70 जी.एस. एम.												
75	स्टॉक रजिस्टर कन्जूमेबल 320 पेज	2 नग	70 जी.एस. एम.												
76	सर्विस बुक	100 नग	60 जी.एस.एम												
77	स्लिप पैड कान्फेन्स	500 नग	60 जी.एस.एम												
78	स्पाईरल पैड	50 नग	60 जी.एस.एम												
79	मीटिंग फोल्डर ए-4	300 नग	उच्च क्वालिटी												
80	मीटिंग फोल्डर सुपीरियर क्वालिटी	200 नग	उच्च क्वालिटी												
81	कम्प्यूटर पेपर फोल्डर 10x12	50 नग	उच्च क्वालिटी												
82	कम्प्यूटर पेपर फोल्डर 10x15	50 नग	उच्च क्वालिटी												
83	कार्यालय टिप्पणी	100 बंडल	उच्च क्वालिटी												
84	फाईल कवर्स	1000 नग	उच्च क्वालिटी												

नोट:- 1. मूल दर में वस्तु का मूल्य जी.एस.टी. सहित अंकित किया जाये।

2. व्यवसायी हारा राजकीय विभाग को माल सप्लाई करते समय विल यित्त (जिएफएण्डआर) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 (1) यित्त / (जिएफएण्डआर) / 07 दिनांक 21.04.2010 के अनुसार तैयार कर तीन प्रतियो में प्रस्तुत किया जायेगा।

विभागीय के हस्ताक्षर मय सील

*विभागीय का नाम एवं डाक का पता मय टेलीफोन नम्बर (दुकान/घर)

.....
.....
.....

विभागीय के हस्ताक्षर मय सील